v/;k; 2 & y[kkijh{kk nf"Vdks.k ,oa iwoZorhZ y[kkijh{kk tkap ifj.kke

2-1 y[kkijh{kk mís';

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- क्या भारत सरकार एनबीएस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकी जो विशेषरूप से पूर्ववर्ती योजना की तुलना में कुल राजसहायता बिल को सीमित करने, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने तथा स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास से संबंधित थे;
- क्या राजसहायता की अदायगी एनबीएस नीति के अनुसार की गई;
- क्या कम्पनियों ने उर्वरकों के अन्तशेष पर उत्तरवर्ती वर्षों के बीच राजसहायता के अंतर का अनावश्यक लाभ उठाया; और
- क्या कम्पनी द्वारा निर्धारित की गई एमआरपी कच्चे माल/अन्य इनपुट की लागत पर आधारित थी और क्या वह उचित थी।

2-2 y[kkijh{kk ekin.M

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नानुसार के संदर्भ में की गई :

- पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति के अधीन राजसहायता को देने के लिए डीओएफ द्वारा जारी नीति दिशानिर्देश/परिपत्र/आदेश;
- वार्षिक राजसहायता के निर्धारण से संबंधित नीति फाईल; और
- चयनित उर्वरक उत्पादक/आयातक कम्पनियों के उर्वरक के उत्पादन/आयात से संबंधित रिकार्ड।

2-3 y[kkijh{kk dk;Z{ks= foLrkj

निष्पादन लेखापरीक्षा ने ₹137611 करोड़ को सम्मिलित करते हुए अप्रैल 2010 (एनबीएस नीति के प्रारंभ से) से मार्च 2014 तक की अवधि को लिया। आरंभ में, 34 उर्वरक कम्पनियों में से आठ[12] कम्पनियों के प्रतिदर्श का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया जिन्हें प्रत्येक वर्ष में ₹500 करोड़ से अधिक की राजसहायता प्राप्त हुई हो। हालांकि, डीओएफ के साथ उद्घाटन सम्मेलन के दौरान, आठ कम्पनियों में से केवल पाँच[13] कम्पनियों तक ही लेखापरीक्षा को सीमित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि डीओएफ ने सुनिश्चित किया कि कम्पनियों से लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित सभी आंकड़े उनके द्वारा उपलब्ध कराए

---

[12] चंबल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल), नई दिल्ली (निजी), कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल), सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी), इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), नई दिल्ली (निजी), ज़ुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेडआईएल), गुडगांव, हरियाणा (निजी), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स को–ओपरेटिव लिमिटेड (इफको), नई दिल्ली, (सहकारिता), फर्टिलाइज़र्स एवं कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), कोचिन, केरल (सरकारी), गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) वड़ोदरा, गुजरात (सरकारी) और राष्ट्रीय कैमिकल्स एवं फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ), मुम्बई, महाराष्ट्र (सरकारी)

[13] इफको, एफएसीटी, जेडआईएल, आईपीएल और सीएफसीएल

जाएंगे। पाँच कम्पनियों में से चयनित 3 निजी कम्पनियाँ हैं, एक केन्द्रीय लोक सेवा उद्यम (सीपीएसई) है और एक सहकारी संस्था है।

डीओएफ द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद क्षेत्र लेखापरीक्षा के समाप्त होने के बाद ही कम्पनियों के लिए लागत आँकड़े प्रस्तुत (अक्तूबर 2014) किये। यद्यपि, यह लागत आँकड़े किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं थे। अतः लेखापरीक्षा लागत आँकड़ों की सटीकता को सत्यापित नहीं कर सकी।

2-4 y[kkijh{kk dk;Zi.kkyh

निष्पादन लेखापरीक्षा की डीओएफ के साथ 26 जुलाई 2013 को हुए उद्घाटन सम्मेलन के साथ शुरूआत हुई जिसमें लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र और मापदण्ड को स्पष्ट किया गया। चयनित पाँच पीएण्डके उर्वरक उत्पादक/आयातक कम्पनियों के डीओएफ के रिकार्ड से संबंधित राजसहायता के निर्धारण और एमआरपी के निर्धारण दावों, डीओएफ से प्राप्त राजसहायता, अन्तिम स्टॉक, उर्वरकों के क्रय आदि से संबंधित उर्वरक कम्पनियों के रिकार्डों की भी जाँच की गई।

डीओएफ को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट 15 सितंबर 2014 को इस निवेदन के साथ जारी की गई कि वह अपनी प्रतिक्रिया 24 अक्तूबर 2014 तक भेज दे। लेखापरीक्षा को डीओएफ से प्रतिक्रिया 3 नवंबर 2014 को प्राप्त हुई। डीओएफ को लेखापरीक्षा जाँच परिणामों पर चर्चा करने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के लिए 24 नवंबर 2014 को समापन सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीओएफ को 27 फरवरी 2015 को इस निवेदन के साथ ड्राफ्ट अन्तिम रिपोर्ट जारी की गई कि वह इस की प्राप्ति के दो सप्ताह में अपनी प्रतिक्रिया भेज दे, डीओएफ से इसकी प्रतिक्रिया 13 मार्च 2015 को प्राप्त हुई। समापन सम्मेलन के दौरान डीओएफ की प्रतिक्रिया के साथ–साथ उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर भी विधिवत रूप से विचार किया गया और उपयुक्त रूप से रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

2-5 iwoZorhZ y[kkijh{kk tkp ifj.kke

उर्वरक राजसहायता की निष्पादन लेखापरीक्षा जो 2011–12 (सिविल) की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या–8 में आयी थी उसमें 2003–2004 से 2008–09 की अवधि शामिल है और उसमें पहले की रियायत योजना के अंतर्गत यूरिया और पीएण्डके उर्वरक दोनों से संबंधित मुद्दों को भी सुलझाया गया है। पीएण्डके उर्वरकों से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा जाँच परिणाम निम्न हैं:

- फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संदर्भ में, उत्पादन क्षमता 1998–99 से 2008–09 तक करीब दुगुनी हो गई जबकि डीएपी और एनपीके मिश्रणों का उत्पादन केवल 30 प्रतिशत तक ही बढ़ा। वास्तव में, डीएपी का उत्पादन काफी हद तक नीचे गिर गया। तथापि, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन अधिकांशतः आयातित कच्चे माल/मध्यस्थों पर आधारित था। अत्यधिक ऊंची कीमतों पर आयात द्वारा डीएपी/एमएपी/एनपीके मिश्रणों के उपभोग को मुख्य रूप से बढ़ाया गया जिससे राजसहायता देने का बोझ कई गुना बढ़ गया।

- राष्ट्र की पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकता को पूर्णतया आयात द्वारा पूरा किया गया। आगे आयात को नियंत्रित करने तथा मार्च 2008 तक के उपलब्ध स्टॉक पर से आहरण करने की अपेक्षा मंत्रालय ने एमओपी के 57 लाख एमटी का (व्यय आँकड़ों के अनुसार 43 लाख एमटी) अतिरिक्त आयात किया जिससे राजसहायता पर ₹10000 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त बोझ पड़ा।

- राज्य सरकार द्वारा प्रोफार्मा 'बी' में कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री के प्रमाणीकरण की आवश्यकता, प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अपर्याप्तता होने के बावजूद भी, उर्वरकों के एण्ड–यूज पर एकमात्र मुख्य नियंत्रण था। प्रोफार्मा 'बी' के समय पर प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 10/15 प्रतिशत (असमायोजित छूट के 100 प्रतिशत के लिए बैंक गारंटी दण्डनीय खण्ड में है) के संतुलित भुगतान के साथ प्रमाणीकरण को जोड़ने से स्पष्ट प्रोत्साहन/अवप्रेरक उपलब्ध हुए। जून 2007 से, इस प्रकार के संयोजन को हटाने से कृषि उद्देश्यों के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के एण्ड–यूज को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। इस कारण वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए ₹50587 करोड़ के बकाया प्रोफार्मा 'बी' का संचयन हुआ।
- लेखापरीक्षा ने इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा डीएपी के आयात में अनेक अनियमितताओं के साथ–साथ उसके आयात तथा समरूपी आपूर्ति में अनेक भिन्नताओं को पाया।

2012–13 की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने विस्तृत जाँच के लिए 2011–12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 का चयन किया। 30 अप्रैल 2013 को संसद में रखी गई उसकी 81वीं रिपोर्ट में पीएसी के विचारों/अनुशंसाओं को रखा गया है। पीएसी की पीएण्डके उर्वरकों से संबंधित अनुशंसा पर डीओएफ द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति को vu|yXud **III** में सम्मिलित किया गया है।